


या पनापना पनाक... को पेश हो।

6/25 पगावली पेश हुई, वकील द्वारा उपस्थित विपक्षीयों के सम्मन बाद वायिल होकर जल हुए जिले 2000 रुपये बाये। विपक्षीयों को किल्ली मतवा किक-किक कर आवाये जिलायी जाने के बाद भी उपस्थित नहीं, इनके सिद्ध एक तरफ काफियाही किये जाने का अधिश दिया जाता हो वकील द्वारा का का स्वीकार किया जाकर किये प्रसङ्ग से लिखा जाकर 2000 रुपये बाये पगावली के सब श्रम होकर नम्बर से रुग हो।


उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा



न्यायालय उपखण्ड अधिकारी माण्डल जिला भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी- मनोज, आर.ए.एस.
मुकदमा संख्या - 108/24 प्रा.पत्र

1- श्री रामतल्लाम नं० श्री श्रीकलाल स्वटीक निवासी-आवाखेडी तहसील भीलवाडा

-प्राथ-

बनाम

1- श्री रामेश्वर लाल नं० श्री कंकुभील निवासी- रघुनाथपुरा तहसील-माण्डल (गौरा)
(विपक्षीय-पत्रसंलग्न)

-विपक्षीय

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956

दिनांक:- 06-06-24

::आदेश::

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि
ग्राम रघुनाथपुरा पटवार हल्का वरण तहसील माण्डल में उसके खाते /संयुक्त खाते की
आराजी नं० 1834/465 कुल किता 01 रकबा 0.0632 हेक्टेयर स्थित है। वादग्रस्त भूमि
के विपक्षीय के मध्य आराजी मुतदायिवा के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता
रहता है। जिसमें प्रार्थी अपने खाते/संयुक्त खाते की भूमि की पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराये जावें।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 07-05-24 को पंजीबद्ध किया जाकर प्रकरण को
अवलोकनार्थ से यह बात सिद्ध है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी एवं कब्जे काशत काशत की होने से पत्थरगढी कराने का
अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकारी निर्धारित किये जाते है। अतः इन तथ्यों को देखते हुए
नैसर्गिक की न्यायिक सिद्धान्त के आधार पत्र स्वीकार योग्य है।

::आदेश::

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम रघुनाथपुरा पटवार
हल्का वरण तहसील माण्डल में उसके खाते/संयुक्त खाते की आराजी नं० 1834/465
कुल किता 01 रकबा 0.0632 हेक्टेयर भूमि के चारों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये
जाने हेतु पत्थरगढी किये जाने का आदेश दिया जाता है। पत्थरगढी किये जाने हेतु भू-अभिलेख निरीक्षक वरा
को 500 रुपये/- कमिश्नर फीस पर कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकरान् की मौजूदगी में गौके व कब्जे
की यथास्थिति को बनाये रखते हुए मुस्तकील बिन्दु को आधार मानकर पत्थरगढी की जावें। फसल खड़ी होने पर
पत्थरगढी नहीं की जावें।


उपखण्ड अधिकारी
माण्डल

प्रतिलिपि:- तहसीलदार माण्डल को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार पत्थरगढी की
जाकर पालना रिपोर्ट 07 दिवस में प्रस्तुत करें।


उपखण्ड अधिकारी
माण्डल